(23)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ गांधी नगर, जयपुर

एफ.4(1)पो/SHG/मबावि/2007/ 51928-960 जयपुर, दिनांक 17.5.11

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :- जिला स्तरीय पोषाहार गुणवत्ता नियंत्रण समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार के आदेश कमांक–एफ.6(5)(3)प्र.सु./अनु.–3/2006, दिनांक–19.01.11 के द्वारा समेकित बाल विकास सेवा कार्यकम के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आयुवर्ग 3–6 वर्ष के बच्चों को वितरीत किये जाने वाले गरम पूरक पोषाहार दलिया/खिचडी/नाश्ता एवं आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को वितरीत किये जाने वाले आरटीई पूरक पोषाहार की गुणवत्ता की जांच/गुणवत्ता नियंत्रण हेतु उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पोषाहार गुणवत्ता नियत्रंण समिति का गठन किया गया है।

इस समिति का मुख्य दायित्व आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार वितरण की सभी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में जिला स्तरीय पोषाहार प्रबन्धन समिति को अपनी अनुशंषा प्रस्तुत करना, महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा पूरक पोषाहार का निर्माण भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करवाया जाना, महिला स्वयं सहायता समूहों को पूरक पोषाहार के निर्माण में आने वाली कठिनाईयों को दूर करना एवं समूहों को नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित करना आदि है। आपकी अध्यक्षता में गठित इस समिति की बैठक पाक्षिक आधार पर आयोजित की जानी चाहिए। यह जानकारी में आया है कि उक्त समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा रही है। अतः इस सम्बन्ध में लेख है कि समेकित बाल विकास सेवा कार्यकम के सफल संचालन एवं योजनान्तर्गत लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत उक्त समिति की बैठक पाक्षिक रूप से आयोजित कराया जाना सुनिश्चित करावें एवं बैठक कार्यवाही विवरण निदेशालय को एवं जिला स्तरीय पोषाहार प्रबंधन समिति को नियमित रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

15/5/2011

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर।

एफ.4(1)पो/SHG/मबावि/2007/ 51961-52001 जयपुर, दिनांक 17.5.

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है</u> :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, आयुक्त महिला अधिकारिता एवं पदेन शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
7. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा को विभागीय बेबसाईट पर लोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर।